

कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर

क्रमांक:-जिविसेप्रा/संस्था/2026/119

दिनांक:- 13.03.26

:: विज्ञप्ति ::

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसलमेर अधीनस्थ कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व वाहन चालक के रिक्त पदों पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र. सं.	प्राधिकरण/समिति का नाम	वाहन चालक के रिक्त पदों की संख्या	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों की संख्या
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर	01	04
2	तालुका विधिक सेवा समिति, पोकरण	—	01
	कुल योग	01	05

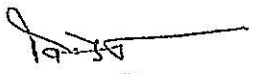
राजस्थान सरकार, विधि विभाग की आज्ञा संख्या पं.08 (1)विधि/-2/विरसं(64)/2015 पार्ट II-17055 दिनांक 03.02.2026 एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफ-7(136)रालसा/संस्था/संविदा सेवा-वाहन/2026/155-156 दिनांक 10.03.2026 के अनुक्रम में वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर वित्तीय वर्ष 2026-27 दिनांक (01.04.2026 से 31.03.2027 तक अथवा नियमित भर्ती होने तक जो भी पूर्व में हो) के लिये कार्गिक विभाग द्वारा परिपत्र एवं संविदा सेवाओं के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के दिशा-निर्देशों की पालना में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर संविदा पर सेवाएं ली जानी हैं।

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के अनुसार देय होगा। आवेदक को पुनः नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का विकल्प वरीयता में देना होगा।

शर्तें:-

1. उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के निर्देशानुसार देय होगी।
2. उपरोक्त पद पूर्णरूपेण अनुबंध पर सेवा के आधार पर होंगे।
3. समेकित पारिश्रमिक पर पूर्णनियुक्त कार्मिक की पुनर्नियुक्ति किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यक्षीन होंगी
4. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त वर्णित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व वाहन चालक के रिक्त पद पर उक्त शर्तों के अध्यक्षीन सेवाएं देने वाले इच्छुक कर्मचारी दिनांक 23.03.2026 को सांय 05.00 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अपना आवेदन पत्र जरिये डाक/ईमेल dlsal9jaisalmer@gmail.com पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन जिला न्यायालय, जैसलमेर की वेबसाईट <http://districts.courts.gov.in/jaisalmer> से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि दिनांक 23.03.2026 के पश्चात के आवश्यक निर्देशों बाबत जिला न्यायालय जैसलमेर की वेबसाईट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

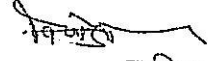

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जैसलमेर

क्रमांक:-जिविसेप्रा/संस्था/2026/120-126

दिनांक:- 13/3/26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. जिला कलक्टर, जैसलमेर को संसत्त अधीनस्थ कार्यालय/विभाग में सूचित करने हेतु
3. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, पोकरण
4. जिला जन संपर्क अधिकारी, जैसलमेर
5. जिला नियोजन अधिकारी, जैसलमेर
6. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि इसे जिला न्यायालय, जैसलमेर की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम ऑफिसर को निर्देशित करावें।
7. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा


सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जैसलमेर

कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर

(राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व वाहन चालक को विपरीत प्रतिनियुक्ति सेवाएं लेने के लिये आवेदन-पत्र)

आवेदन पत्र

1. कर्मचारी का नाम :
2. पिता-पति का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. पता मय मोबाईल नम्बर :
5. आयु :
6. अर्हताएं :
7. मूल विभाग का नाम :
8. धारित पद :
9. अनुभव :
10. मूल वेतन :
- (रनिंग पे बैंड वेतन+ग्रेड पे)
(एलपीसी संलग्न करें)
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र :
- (संलग्नानुसार)

विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी श्री जो पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किया जाता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त वचनबंध के विचार के लिये उराकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती रु. मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैंड वेतन+ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।



विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील